



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19062020-220008
CG-MH-E-19062020-220008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942

No. 219]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISTHA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 10 जून, 2020

सं. टीएमपी/44/2019-जेएनपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38), की धारा 49 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) से, जेएनपीटी की संपदा के दरमानों के निर्धारण के लिये प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए, संलग्न आदेशानुसार, संशोधित दरमान अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएमपी/44/2019-जेएनपीटी

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

..... आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2020 के 1वें दिन पारित)

यह मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) जेएनपीटी की संपदा के दरमानों के निर्धारण के लिये प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. जेएनपीटी ने 20, अगस्त 2019 के अपने पत्र संख्या जेएनपीटी/फिन/एफए/2019/5970 के द्वारा जेएनपीटी की संपदा के दरमानों के निर्धारण के लिये संशोधन का प्रस्ताव दायर किया। उक्त प्रस्ताव को संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों के साथ परामर्श के लिये लिया गया। जेएनपीटी के प्रस्ताव की कार्यालय में आंतरिक समीक्षा की गई। जेएनपीटी से अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण मांगे गए। जेएनपीटी ने अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण का उत्तर दिया। इस मामले में प्राधिकरण के कार्यालय में 13 नवंबर, 2019 को संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में जेएनपीटी तथा संबंधित प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संगठनों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

3. मामले की विवेचना के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के हवाले से, इस प्राधिकरण ने जेएनपीटी की संपदा के संशोधित दरमानों का अनुमोदन किया और एक सकारण आदेश पारित किया।

4. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना की प्रक्रिया में है और अधिसूचना में कुछ और समय लगने की संभावना है। यह प्राधिकरण चाहता है कि संशोधित दरमान आदेश की अधिसूचना की प्रतीक्षा किये बिना, प्रभावी हो जाएं। इसलिए यह प्राधिकरण के जेएनपीटी की संपदा के संशोधित दरमानों को, अनुलग्नक के रूप में संलग्न, तत्काल अधिसूचित कराता है। उक्त दरमान भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर लागू होंगे। इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश अलग से अधिसूचित किया जायेगा तथा जेएनपीटी तथा संबंधित प्रयोक्ताओं / प्रयोक्ता संगठनों को बाद में संसूचित कर दिया जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 71 / 2020—21]

अनुलग्नक

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

जेएनपीटी संपदा के पट्टा किराये

क्र.सं.	मद	इकाई	दर (रु.)
1	पत्तन में कहीं भी एजेंसियों, वाणिज्यिक एजेंसियों, बैंकों, सरकार की को पत्तन में कहीं भी आबंटित, जेएनपीटी के पुराने भवन और नगर क्षेत्र के सिवाए, कार्यालय स्थान का पट्टा शुल्क	प्रति वर्ग मीटर या उसका भाग प्रति माह या उसका भाग	500.00 रु. प्रति वर्ग मीटर या उसका एक भाग प्रतिमाह जमा 333.36 रु. प्रति माह प्रीमियम
2	पत्तन संपदा में सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र के बाहर कहीं भी +5.5 एम सीडी और उससे अधिक तक विकसित भूमि का लाइसेंस शुल्क	-	45.00
3	पत्तन संपदा में सीमाशुल्क बद्ध क्षेत्र के भीतर कहीं भी +5.5 एम सीडी और उससे अधिक तक विकसित भूमि का लाइसेंस शुल्क	-	54.00
4	पत्तन संपदा में कहीं पर भी अविकसित भूमि का लाइसेंस शुल्क (अविकसित का अर्थ वह भूमि जिसकी +5.5.एम सीडी तक भराई नहीं की गई है।)	-	22.50
	क्रमांक 1,2,3 और 4 के सभी मामलों के लिए टिप्पणियां		
	i. लाइसेंस शुल्क/पट्टा किराया को उस कार्यकलाप के भारत के रूप में 20% बढ़ाया जायेगा जो पत्तन कार्यकलापों से संबंधित नहीं होगा और जिसे वाणिज्यिक कार्यकलाप के रूप में परिभाषित किया गया हो।		

	ii. सरकारी एजेंसियों को लागू भूमि किराया एमओएस द्वारा समय-समय पर जारी भू-नीति दिशानिर्देशों के अनुसार पत्तन उपयोग के लिए नामांकन आधार पर होगा। iii. पत्तन उपयोग से इतर सरकारी एजेंसियों के लिए रियायती दर मामला-से-मामला आधार पर जेएनपीटी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा।		
5	टैंक फार्म के लिए भूमि का लाइसेंस शुल्क (बोली की आधार दर) तथा मार्गाधिकार प्रभारों की अनुमति	वही	254.00
6	पत्तन नगर-क्षेत्र में आबंटित रिहायशी आवास का किराया		
क	(क) अन्य सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी	क' टाइप	6,270.00 रु. प्रति माह
		ख' टाइप	7,560.00 रु. प्रति माह
		ग' और घ टाइप	140 रु. प्रति व.मी. प्रति माह
	(ख) किसी प्राइवेट फर्म	कोई टाइप	168 रु. प्रति व.मी. प्रति माह
7	शॉपिंग सेंटर भवन (नगर क्षेत्र) का किराया	वर्ग मीटर प्रति माह	194/-रु.
8	ढके हुए भंडारण भवन के निर्माण के लिए भूमि के आबंटन का पट्टा किराया	वर्ग मीटर प्रति माह	141/-रु.

टिप्पणी:

- (क). ऊपर निर्धारित वार्षिक किराये/लाइसेंस शुल्क प्रति वर्ष 2% वार्षिक वृद्धि के अधीन होंगे।
- (ख). ऊपर निर्धारित वार्षिक किराये/लाइसेंस शुल्क इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात प्रभावी होंगे और पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगे।

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th June, 2020

No. TAMP/44/2019- JNPT.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the revised Scale of Rates disposing of the proposal of the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) for fixation of Scale of Rates for Estate of JNPT, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/44/2019- JNPT

Jawaharlal Nehru Port Trust

..... Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 1st day of June, 2020)

This case relates to the proposal received from Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) for fixation of Scale of Rates for Estate of JNPT.

2. The JNPT has filed a proposal vide its letter no JNP/FIN/FA/2019/5970 dated 20 August 2019 for fixation of Scale of Rates for estate of JNPT. The said proposal was taken for consultation with concerned users/user organisations. The proposal of the JNPT was internally scrutinized in the office. The additional information/clarification were sought from the JNPT. The JNPT has furnished the additional information/ clarifications sought. A joint hearing in this case was held on 13 November 2019 at the Office of this Authority. At the joint hearing, the Users/User Organisations and JNPT have made their submissions.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has approved the Scale of Rates for Estate of JNPT and passed a Speaking Order.

4. The Speaking Order passed by this Authority is in the process of notification in the Gazette of India and it is likely to take some more time for notification. Therefore, this Authority desires that the Scale of Rates may come into force without waiting for notification of the Order. Therefore, this Authority notifies the Scale of Rates for the estate of the JNPT, which is attached as **Annex**. The said Scale of Rates will come into force after expiry of 30 days from the date of notification of this Order in the Gazette of India. The Speaking Order passed by this Authority will be notified separately and communicated to the JNPT and the relevant users/ user organisations in due course of time.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./71/2020-21]

Annex

Jawaharlal Nehru Port Trust**Lease Rentals for the JNPT Estate**

Sr. No.	Item	Unit	Rate (₹)
1	License Fee for office accommodation allotted to agencies, commercial agencies, banks, Government anywhere in the Port except the Old building of JNPT and Township area	Per Sq.Mtr. Or part thereof per month or part thereof	500.00 per sq. Mtr or part thereof per month plus ₹333.36 per month premium.
2	License fee for land developed up to +5.5 M CD and above anywhere outside custom Bound area in Port Estate	“	45.00
3	License fee for land developed up to +5.5 M CD and above anywhere within custom Bound area in Port Estate	“	54.00
4	License fee for land for undeveloped anywhere in Port Estate. (Undeveloped means any land not filled up to +5.5. m CD)	“	22.50
	Note for all the Cases of Sr No 1,2,3 and 4		
	i. The license fee/ lease rent will be enhanced by 20% as weightage for the activities which are not related to Port Activities and defined as Commercial activities. ii. The land rent applicable to Government agencies will be on nomination basis for Port Use as per the provisions of the Land Policy Guidelines issued by MoS from time to time. iii. The concessional rate for Govt agencies other than Port Use will be decided by JNPT Board on case to case basis.	“	
5	License fee for land for Tank Farm (Base rate for Auction) & permission for way leave charges	“	254.00
6	Rent for residential Accommodation allotted in Port Township to:		
A	(A) Employees of other Government Agencies and Public Sector undertakings	A' Type	6,270.00 per month
		B' Type	7,560.00 per month
		C' and D Type	140 per Sq mt per month

	(B) Any Private firm	Any type	168 per Sq mt per month
7	Rent for Shopping Centre Building (Township)	Sq Mt. p.m	194/-
8	Lease rent for allotment of land for construction of covered storage	Sq Mt. p.m	141/-

Note:

- (a). The annual rental/ licence fee prescribed above shall bear an escalation factor of 2% every year.
- (b). The annual rental/ licence fee prescribed above will be effective after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and shall remain in force for a period of five years.